COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

576

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी, रा0 म0 ग्वालियर,
प्रकरण क्र.0 /17 निगरानी PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3397

दुलेसिंह पिता देवीसिंह आयु 51 वर्ष, जाति गुर्जर
निवासी ग्राम भाण्डतलावली तह0 बडनगर जिला उज्जैन
---आवेदकग

विरूद्ध

1--सुगनाबाई विधवा भागीरथ जाति गुर्जर,
निवासी ग्राम पंचोली तहसील बडनगर जिला उज्जेन
2-- श्रीमति देवकुवंर बाई पति लक्षमणसिंह जाति गुर्जर
निवासी ग्राम भाण्डतलावली तहसील बडनगर जिला उज्जैन
---अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 19.9.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
C/c 3.10.17

निगरानी आवेदन धारा 50 भू0 रा0 सं0

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बडनगर
बडनगर द्वारा प0 कं0 28-अ-12/2010-11 मे पारित
आदेश दिनांक 31/03/2011 से असंतुष्ट एंव क्षुब्ध होकर निगरानी ।

19/9/17

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, अनावेदक सुगनाबाई द्वारा एक आवेदन धारा 129 भू0रा0सं0 का सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय बडनगर मे दिनांक 27/12/2010 को प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन के साथ एक नक्शा प्रस्तुत किया गया जो कि भूमि सर्वे कं0 14/1, 15/2 व 15/3 एंव 16 भूमि स्थित ग्राम पंचोली तहसील बडनगर का नक्शा प्रस्तुत किया गया उक्त नक्शे मे सर्वे कं0 14 व सर्वे कं0 15 का सम्पूर्ण नक्शा संलग्न था तथा नक्शा कटा हुवा नही होकर नक्शे के बीच मे कोई लाईन मोजुद नही थी । उक्त नक्शे के आधार पर राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा उक्त वर्णित भूमि का सीमांकन दिनांक 28/02/2011 को किया गया तथा सीमांकन के दोरान ही राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के बाहर जाकर नक्शा मे लाईन खीच दी गई जबकि तहसीलदार महोदय का नक्शे मे बंटाकन किये जाने का कोई आदेश नही था । तथा नक्शे मे लाईन खीचने के बाद उक्त नक्शे को सीमांकन की अंतिम रिर्पोट के साथ राजस्व निरीक्षक ने तहसील मे प्रस्तुत कर दिया । उक्त सीमांकन की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3397

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	